



📞 अपडेट दिनांक 22-01-2023 जनपद फिरोजाबाद 📞

🚓 ॥ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत अपराधियों पर कार्यवाही ॥ 🚓

□ एसएसपी फिरोजाबाद के निर्देशन में अभियान चलाकर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों पर की जा रही है कड़ी कार्यवाही ।

■ वर्ष 2023 में जनवरी माह में अब तक 14 (1) गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत 13 मामलों में अभियुक्तों की 2,61,29,000 (2 करोड ,61 लाख ,29 हजार रुपये) की अवैध सम्पत्ति को जब्त करने हेतु थानों से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

◆ फिरोजाबाद पुलिस द्वारा चलाये गये 30 प्र 0 गिरोहबंद अधिनियम अभियान के दौरान वर्ष 2023 में थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा अभियोग पंजीकृत कर बदरूल गैंग के सदस्य अभियुक्त माजिद बेग की 21 लाख 11 हजार रुपये की सम्पत्ति को किया जा चुका है जब्त ।

◆ अभियान चलाकर 14(1) जब्तीकरण के द्वारा अपराधियों पर लगातार की जा रही कार्यवाही के क्रम में अभियुक्तों पर 2,61,29,000 रुपये (02 करोड 61 लाख, 29 हजार रुपये) की जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव 09 थानों से प्राप्त हुआ है।

🔒 एसएसपी फिरोजाबाद की अपराधियों को नजीर अपराध का रास्ता छोड अन्यथा अपराध के रास्ते पर चलकर अर्जित की गयी सम्पत्ति को फिरोजाबाद पुलिस द्वारा किया जायेगा जब्त । साथ ही अपना अमूल्य जीवन जेल की चारदीवारी में बिताना पडेगा ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में जनपद में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने हेतु विभिन्न अभियान चलाकर लगातार कार्यवाही की जा रही है इसी क्रम में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत अपराधियों पर लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है जनपद में वर्ष 2023 में जनवरी माह के अन्तर्गत अब तक अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में कार्यवाही करते हुए 14(1) अधिनियम जब्तीकरण के तहत जनपद के 09 थानों द्वारा 13 मामलों में अभियुक्तों की 26129000 रुपये (2 करोड ,61 लाख ,29 हजार रुपये) की अवैध सम्पत्ति को जब्त कराने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है तथा थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा अभियान के दौरान दिनांक 18-01-23 को बदरूल गैंग के सदस्य अभियुक्त माजिद बेग की 21,11,000 रुपये (21 लाख, 11 हजार रुपये) की सम्पत्ति पर जब्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है। किसी भी अपराधी को कतई बख्शा नहीं जायेगा ।

«» एसएसपी फ़िरोजाबाद का अपराधियों को संदेश कि अपराध का रास्ता छोड़ दें अन्यथा अपराध के रास्ते पर चलकर अर्जित की गयी सम्पत्ति को फ़िरोजाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जब्त कर लिया जायेगा। साथ ही अपना अमूल्य जीवन भी जेल की चारदीवारी में बिताना पड़ेगा। अब रास्ता आपके हाथ में है कि एक अच्छे नागरिक बन अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना है या अपराधी बन अपनी सारी सम्पत्ति को जब्त कराना है और जेल की सलाखों के पीछे अपना जीवन बिताना है।

■ फ़िरोजाबाद पुलिस जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कटिबद्ध है ■